[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 22 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. ....(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) पांचवां संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये नियम 01 दिसंबर, 2019 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**6. स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु पात्र और इच्छुक व्यक्ति द्वारा अपेक्षित अनुपालन.-** (1) प्रत्येक व्यष्टि -

(क) जिसे कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) पांचवां संशोधन नियम, 2019 के प्रारंभ होने की तारीख को नियुक्त किया गया है, ऐसे प्रारंभ के तीन माह की अवधि के भीतर; या

(ख) जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात् कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने का आशय रखता है, ऐसी नियुक्ति से पूर्व,

संस्थान को एक वर्ष या पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अपने जीवन-काल के लिए अपना नाम डाटा बैंक में सम्मिलित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा, और समय-समय पर उप-नियम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट कदम उठाएगा जब तक वह किसी कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के पद को धारण करना जारी रखता है:

परंतु यह कि, बिना डीआईएन वाले व्यष्टि सहित कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से डाटा बैंक में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए संस्थान को आवेदन कर सकता है।

(2) प्रत्येक व्यष्टि जिसका नाम डाटा बैंक में इस प्रकार सम्मिलित कर लिया गया है, वह उस अवधि की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर जिस अवधि तक उस व्यष्टि का नाम डाटा बैंक में सम्मिलित करने के लिए आवेदन किया गया था, एक वर्ष या पांच वर्षों की अवधि के लिए या जीवन-काल के लिए इसे नवीकरण कराने के लिए आवेदन फाइल करेगा, ऐसा न करने पर ऐसे व्यक्ति का नाम संस्थान के डाटा बैंक से हटा दिया जाएगा:

परंतु यह कि नवीकरण के लिए ऐसे किसी व्यष्टि द्वारा आवेदन फाइल नहीं किया जाएगा जिसने डाटा बैंक में अपना नाम सम्मिलित कराने के लिए जीवन-काल फीस संदत्त कर दिया है।

(3) प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक प्रत्येक बार उप-नियम (1) तथा उप-नियम (2) के अनुपालन की घोषणा प्रस्तुत करेगा जब भी वह अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (7) के अधीन अपेक्षित घोषणा प्रस्तुत करता है।

(4) प्रत्येक व्यष्टि जिसका नाम उप-नियम (1) के अधीन डाटा बैंक में इस प्रकार से सम्मिलित है, डाटा बैंक में अपना नाम सम्मिलित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रवीणता स्वःमूल्यांकन परीक्षण उत्तीर्ण करेगा, ऐसा न करने पर उसका नाम संस्थान के डाटा बैंक से हटा दिया जाएगा :

परंतु यह कि, ऐसा व्यष्टि जिसने किसी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या दस करोड़ रुपये या अधिक राशि की प्रदत्त शेयर पूंजी वाली किसी गैर-सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में उसके नाम को डाटा बैंक में सम्मिलित किए जाने की तारीख को दस वर्षों से अन्यून की अवधि के लिए सेवा की है, वह ऑनलाइन प्रवीणता स्वःमूल्यांकन परीक्षण उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा :

परंतु यह और कि प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट दस वर्ष की अवधि की गणना के प्रयोजन हेतु, ऐसी अवधि जिसके दौरान कोई व्यष्टि एक समय पर दो या दो से अधिक कंपनियों में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में कार्य कर रहा था, की गणना केवल एक बार ही की जाएगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों हेतु,-

(क) पद "संस्थान" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 की उप-धारा (1) के अधीन स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक के सृजन और अनुरक्षण हेतु संस्थान के रूप में अधिसूचित 'भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान मानेसर' अभिप्रेत है;

(ख) वह व्यष्टि जिसने ऑनलाइन प्रवीणता स्वःमूल्यांकन परीक्षण में कुल मिलाकर साठ प्रतिशत से अन्यून अंक प्राप्त किया है, ऐसे परीक्षण में उत्तीर्ण समझा जाएगा;

(ग) किसी व्यष्टि द्वारा ऑनलाइन प्रवीणता स्वःमूल्यांकन परीक्षण उत्तीर्ण करने के लिए किए गए प्रयासों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी।"

[फा.सं. 8/4/2018-सीएल-I-भाग-II]

के.वी.आर
22/10/19

(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

O|C

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 259(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 750(अ) तारीख 30 सितंबर, 2019 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India

Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi, dated the 22 October, 2019

G.S.R.___ (E). - In exercise of the powers conferred by section 149 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Fifth Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of December, 2019.

2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 6, the following rule shall be substituted, namely: –

"6. **Compliances required by a person eligible and willing to be appointed as an independent director.**— (1) Every individual –

(a) who has been appointed as an independent director in a company, on the date of commencement of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Fifth Amendment Rules, 2019, shall within a period of three months from such commencement; or

(b) who intends to get appointed as an independent director in a company after such commencement, shall before such appointment,

apply online to the institute for inclusion of his name in the data bank for a period of one year or five years or for his life-time, and from time to time

take steps as specified in sub-rule (2), till he continues to hold the office of an independent director in any company:

Provided that any individual, including an individual not having DIN, may voluntarily apply to the institute for inclusion of his name in the data bank.

(2) Every individual whose name has been so included in the data bank shall file an application for renewal for a further period of one year or five years or for his life-time, within a period of thirty days from the date of expiry of the period upto which the name of the individual was applied for inclusion in the data bank, failing which, the name of such individual shall stand removed from the data bank of the institute:

Provided that no application for renewal shall be filed by an individual who has paid life-time fees for inclusion of his name in the data bank.

(3) Every independent director shall submit a declaration of compliance of sub-rule (1) and sub-rule (2) to the Board, each time he submits the declaration required under sub-section (7) of section 149 of the Act.

(4) Every individual whose name is so included in the data bank under sub-rule (1) shall pass an online proficiency self-assessment test conducted by the institute within a period of one year from the date of inclusion of his name in the data bank, failing which, his name shall stand removed from the databank of the institute:

Provided that the individual who has served for a period of not less than ten years as on the date of inclusion of his name in the databank as director or key managerial personnel in a listed public company or in an unlisted public company having a paid-up share capital of rupees ten crore or more shall not be required to pass the online proficiency self-assessment test:

Provided further that for the purpose of calculation of the period of ten years referred to in the first proviso, any period during which an individual was acting as a director or as a key managerial personnel in two or more companies at the same time shall be counted only once.

Explanation: For the purposes of this rule,-

(a) the expression "institute" means the 'Indian Institute of Corporate Affairs at Manesar' notified under sub-section (1) of section 150 of the Companies Act, 2013 as the institute for the creation and maintenance of data bank of Independent Directors;

(b) an individual who has obtained a score of not less than sixty percent. in aggregate in the online proficiency self-assessment test shall be deemed to have passed such test;

(c) there shall be no limit on the number of attempts an individual may take for passing the online proficiency self-assessment test."

[F. No. 8/4/2018-CL-I- Part-II]

22/10

(K.V.R. MURTY)

Joint Secretary to the Government of India

O/C

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 259(E) dated the 31st March, 2014 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 750 (E) dated the 30th September, 2019.